मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4076

18.08.2025 को उत्तर के लिए

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व

4076. श्री भजन लाल जाटव:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करते समय ग्राम सभा या पंचायत की कोई बैठक नहीं हुई और न ही उनकी पूर्व सहमति ली गई;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इस परियोजना के कारण हजारों परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है और उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान दांव पर है;

(घ) क्या सरकार का प्रभावित 108 गाँवों की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक जवाबदेही तय करके इस परियोजना को रद्द करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V (4) (ii) के तहत धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व के बफर जोन की अधिसूचना के लिए 108 ग्राम सभाओं-धौलपुर जिले में 60 और करौली जिले में 48 के साथ बैठक की गई थी। चूंकि बफर जोन अधिसूचना में किसी भी प्रकार की भूमि का अधिग्रहण शामिल नहीं था, इसलिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के तहत प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी।

बफर ज़ोन अधिसूचना का उद्देश्य लोगों और वन्यजीवों के सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए महत्वपूर्ण बाघ पर्यावासों की सुरक्षा को सीमित स्तर का संरक्षण प्रदान करना है। यह स्थानीय समुदायों की आजीविका, विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देता है। ऐसे क्षेत्रों का प्रबंधन स्वीकृत बाघ संरक्षण योजना के अनुसार किया जाता है जो रचनात्मक भागीदारी के माध्यम से स्थानीय लोगों की आजीविका को सुगम बनाती है। गाँवों का स्थानांतरण पूरी तरह से स्वैच्छिक है, और लोगों को केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा मानदंडों के अनुसार पुनर्वास पैकेज मिलेंगे। उक्त परियोजना को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****